प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक विविध याचिका संख्या 812/2025

☐ श्रीमती. राशमिंदर कौर भाटिया पति/कुलदिप सिंह भाटिया लगभग 50 वर्ष , निवासी सी–98 सेक्टर–2 देवेंद्र नगर जिला–रायपुर (सी. जी.) (अपीलार्थी)

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड श्री एम. एस परिहार पिता स्वर्गीय श्री विष्णु सिंह परिहार के द्वारा, जी–1 रोड शाखा रायपुर तहसील तथा जिला–रायपुर में महाप्रबंधक कार्यालय (सी. जी.) (अनावेदक)

2. छत्तीसगढ़ राज्य ,जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा, रायपुर (सी. जी.)

----उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(वाद शीर्षक मामला सूचना प्रणाली से लिया गया)

याचिकाकर्ता हेतु:--श्री पवन केशरवानी, अधिवक्ता

उत्तरवादी हेतु :कोई नहीं।

माननीय श्री अरविंद कुमार वर्मा,न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

05/03/2025

1. वर्तमान याचिका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 528 के तहत, दंड अपील क्रमांक 471/2024 में विद्वान 10 वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर द्वारा पारित दिनांक 28.12.2024 के आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके तहत विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 60 दिनों के भीतर चेक की राशि का 20% जमा करने का निर्देश दिया है और फिर अपीलकर्ता/अभियुक्त को 10,000/– रुपये की जमानत और जमानत प्रस्तुत करने के बाद जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि शिकायतकर्ता कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है, जिसके पास बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत वैध बैंकिंग लाइसेंस है और वह सभी बैंकिंग गतिविधियों में संलग्न है। परिवादी मानक बैंकिंग प्रक्रियाओं के हिस्से के रूप में आवास ऋण सहित विभिन्न प्रकार के ऋण प्रदान करता है।यह अभिकथित गया है कि; आवेदिका ने परिवादी से संपर्क किया तथा अपने परिवहन व्यवसाय के विस्तार के लिए ऋण का अनुरोध किया। करार की शर्तों से सहमत होकर परिवादी ने 14.10.2011 को आवेदिका को ऋण स्वीकृत किया तथा आवेदिका ने ऋण खाता संख्या 8734 (60803798717) बनाए रखा। इस ऋण की अदायगी में आवेदिका ने 3,12,000/– का चेक संख्या 926864 (एक्सिस बैंक, पंडरी शाखा, खाता संख्या 13901020027016) दिनांक 18.11.2016 को जारी किया, जिस पर आवेदिका ने विधिवत हस्ताक्षर किए थे।परिवादी ने एचडीएफसी बैंक, रायपुर, सुंदर नगर शाखा में निकासी के लिए चेक प्रस्तुत किया, लेकिन 23.11.2016 को "अपर्याप्त शेष" के कारण इसे अस्वीकृत कर दिया गया। अनादर की सूचना प्राप्त करने के बाद, परिवादी ने आवेदक को 15.12.2016 को पंजीकृत डाक के माध्यम से एक विधिक नोटिस भेजा, जिसमें अपमानित चेक राशि के भुगतान की मांग की गई।आवेदक को 20.12.2016 को नोटिस प्राप्त हुआ, लेकिन वह आज तक भुगतान करने में विफल रहा। अतः, अपीलकर्ता के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत आरोप तय किया गया और उसे आपराधिक शिकायत मामले संख्या 451/2017 में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत आदेश दिनांक 29.11.2024 के तहत दोषी ठहराया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. परिवाद प्रकरण के विचारण के पश्चात विद्वान विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को एनआईएक्ट की धारा 138 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया है और उन्हें 02 वर्ष के साधारण कारावास के साथ 04,43,040/– रूपये का प्रतिकर अदा करने का दंड पारित किाय गया है, प्रतिकर राशि का भुगतान न करने पर 30 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

4. याचिकाकर्ताओं ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 415 के तहत विद्वान 10 वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर के समक्ष अपील दायर की है, साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 430(1) के तहत दंड के निलंबन और जमानत प्रदान करने के लिए आवेदन भी प्रस्तुत किया है।उक्त दाण्डिक अपील दाण्डिक प्रकरण संख्या 471/2024 के रूप में पंजीकृत है।

5. दिनांक 28.12.2024 को विद्वान 10 वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दंड को निलंबित करने और याचिकाकर्ताओं को जमानत बांड और 10,000/– रुपये की जमानत प्रस्तुत करने पर जमानत देने का आदेश पारित किया है, बशर्ते अपीलकर्ता 60 दिनों के भीतर चेक की राशि का 20% जमा करें। वर्तमान याचिका में इसी आदेश को चुनौती दी गई है।

6. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चेक राशि का 20% जमा करने के संबंध में दिया गया आदेश अवैध है, क्योंकि 20% जमा करना अनिवार्य नहीं है, फिर भी विद्वान अपीलीय न्यायालय ने

क्षतिपूर्ति की राशि का 20% जमा करने का निर्देश दिया है।विद्वान अपीलीय न्यायालय को याचिकाकर्ताओं को जमानत देने के लिए पूर्व शर्त के रूप में दिए गए क्षतिपूर्ति का 20% राशि जमा करने की शर्त लगाने का अधिकार नहीं है। विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में दिए गए क्षतिपूर्ति की 20% राशि जमा करने का निर्देश देने के लिए कोई कारण नहीं बताया गया है और यह निर्देश केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दिया जा सकता है, जिसका इस मामले में अभाव है और इसलिए आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाना चाहिए।

7. मैंने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

8. याचिका के साथ संलग्न दिनांक 28.12.2024 के आदेश पत्र (अनुलग्नक पी/1) के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ताओं/याचिकाकर्ताओं को चेक की 20% राशि अर्थात 88,608/– रुपये जमा करने की शर्त के अधीन विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा जमानत दी गई थी। 20% राशि का उक्त जमा करना अपीलकर्ताओं/याचिकाकर्ताओं को जमानत देने की पूर्व शर्त है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. एनआई अधिनियम की धारा 148 अपीलीय न्यायालय को दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील के लंबित रहने के दौरान भुगतान का आदेश देने का अधिकार देती है, जो इस प्रकार है: –––––

"148. दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील लंबित रहने के दौरान भुगतान का आदेश देने की अपीलीय न्यायालय की शक्ति।

(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, धारा 138 के अधीन दोषसिद्धि के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा की गई अपील में, अपील न्यायालय अपीलार्थी को ऐसी धनराशि जमा करने का आदेश दे सकेगा जो विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत जुर्माने या प्रतिकर का न्यूनतम बीस प्रतिशत होगी:परंतु कि इस उप–धारा के तहत देय राशि धारा 143 ए के तहत अपीलकर्ता द्वारा भुगतान किए गए किसी भी अंतरिम क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त होगी।

(2) उप–धारा (1) में निर्दिष्ट राशि आदेश दिनांक से साठ दिनों के भीतर या अपीलकर्ता द्वारा पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर न्यायालय द्वारा निर्देशित तीस दिनों से अधिक नहीं की गई अतिरिक्त अवधि के भीतर जमा की जाएगी।

(3) अपील न्यायालय अपील के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय परिवादी को अपीलकर्ता द्वारा जमा की गई राशि को जारी करने का निर्देश दे सकता है:

परंतु कि यदि अपीलकर्ता को दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो न्यायालय शिकायतकर्ता को निर्देश देगा कि वह इस प्रकार छोड़ी गई राशि को अपीलकर्ता को, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित बैंक दर पर ब्याज सहित, जो सुसंगत वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में प्रचलित हो, आदेश दिनांक से साठ दिन के भीतर, या परिवादी द्वारा पर्याप्त

कारण बताए जाने पर न्यायालय द्वारा निर्देशित तीस दिन से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के भीतर वापस करे।]"

10. संशोधित एनआई अधिनियम की धारा 148 के प्रावधानों के अवलोकन से, अपीलीय न्यायालय "अपीलकर्ता को ऐसी राशि जमा करने का आदेश दे सकता है, जो विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए जुर्माने या क्षतिपूर्ति का न्यूनतम 20% होगी"। इस प्रकार, एनआई अधिनियम की संशोधित धारा 148 अपीलीय न्यायालय को लंबित अपील पर आदेश पारित करने और अपीलकर्ता को राशि जमा करने का निर्देश देने की शक्ति प्रदान करती है, जो विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए जुर्माने या क्षतिपूर्ति के 20% से कम नहीं होगी।

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **बच्चन देवी एवं अन्य बनाम नगर निगम, गोरखपुर एवं अन्य, (2008) 12 एससीसी 372** के मामले में 'करेगा' और 'करेगा' की जांच करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि:---

18. यह सर्वविदित है कि किसी वैधानिक प्रावधान में "हो सकता है" शब्द का प्रयोग अपने आप में यह नहीं दर्शाता कि प्रावधान प्रकृति में निर्देशात्मक है।कुछ मामलों में, विधानमंडल 'हो सकता है' शब्द का प्रयोग विशुद्ध पारंपरिक शिष्टाचार के रूप में कर सकता है और फिर भी एक अनिवार्य बल का आशय रखता है। इसलिए, "हो सकता है" शब्द के विधिक अर्थ की व्याख्या करने के लिए, न्यायालय को विभिन्न कारकों पर विचार करना होगा, अर्थात्, अधिनियम का उद्देश्य और योजना, संदर्भ और पृष्ठभूमि जिसके विरुद्ध शब्दों का प्रयोग किया गया है, इस शब्द के प्रयोग से प्राप्त होने वाले उद्देश्य और लाभ, और इसी तरह।यह भी समान रूप से स्थापित है कि जहां शब्द 'हो सकता है' में दायित्व के साथ विवेक शामिल है या जहां यह उपयोगिता अधिनियम में विषयों के एक सामान्य वर्ग को सकारात्मक लाभ प्रदान करता है, या जहां न्यायालय एक उपाय को आगे बढ़ाता है और शरारत को दबाता है, या जहां शब्दों को निर्देशात्मक महत्व देने से अधिनियम का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा, वहां शब्द 'हो सकता है' की व्याख्या अनिवार्य बल को व्यक्त करने के लिए की जानी चाहिए।एक सामान्य नियम के रूप में, शब्द "हो सकता है" विवेक प्रदान करने के लिए अनुमेय और क्रियाशील है और विशेष रूप से तब, जब इसका उपयोग "करेगा" शब्द के साथ किया जाता है, जो कि आम तौर पर अनिवार्य होता है क्योंकि यह एक कर्तव्य को लागू करता है। हालांकि, ऐसे मामले भी कम नहीं हैं जहां शब्द "हो सकता है", "करेगा" और "अवश्य" का परस्पर उपयोग किया जाता है।यह पता लगाने के लिए कि क्या इन शब्दों का प्रयोग निर्देशात्मक अर्थ में किया जा रहा है या अनिवार्य अर्थ में, सुसंगत परिस्थितियों के साथ-साथ विधायिका की मंशा पर भी गौर किया जाना चाहिए।

19. "17. भाषा के अनिवार्य अनुपालन या निर्देशात्मक प्रभाव का अंतर विचाराधीन विधि में प्रयुक्त भाषा और उसके उद्देश्य, प्रयोजन और प्रभाव पर निर्भर करता है।'करेगा' या 'कर सकता है' शब्द के प्रयोग में परिलक्षित अंतर शक्ति प्रदान करने पर निर्भर करता है।संदर्भ के आधार पर, 'हो सकता है' का अर्थ सदैव 'हो सकता है' नहीं होता है। प्रावधान के अनुपालन को सक्षम करने के लिए 'हो सकता है' एक अनिवार्य शर्त है, लेकिन ऐसे

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मामले भी हैं, जिनमें विभिन्न 7/10 कारणों से, जैसे ही किसी व्यक्ति को जो क़ानून के दायरे में आता है, शक्ति सौंपी जाती है, तो [उस शक्ति] का प्रयोग करना [उसका] कर्तव्य बन जाता है। जहां विधि की भाषा किसी कर्तव्य का निर्माण करती है, वहां उस कर्तव्य के गैर–निष्पादन के लिए विशेष उपाय निर्धारित किया जाता है।

20. यदि विधानमंडल का यह स्थापित आशय प्रतीत होता है कि बाध्यता का भाव व्यक्त किया जाए, जैसे कि जहां कोई दायित्व बनाया जाता है, वहां "कर सकता है" शब्द का प्रयोग न्यायालय को बाध्यता या दायित्व का प्रभाव देने से नहीं रोकेगा। जहां विधि पूरी तरह से सार्वजनिक हित में पारित किया गया था और निजी नागरिकों के अधिकारों को किसी क्षेत्र के सामान्य विकास के हित में या झुग्गी–झोपड़ियों और अस्वास्थ्यकर क्षेत्रों को हटाने के हित में काफी संशोधित और सीमित किया गया है।हालांकि "कर सकता है" शब्द के प्रयोग से वैधानिक निकाय को शक्ति प्रदान की जाती है, लेकिन उस शक्ति को वैधानिक कर्तव्य के रूप में समझा जाना चाहिए।इसके विपरीत, 'करेगा' शब्द का प्रयोग वैकल्पिक या अनुमेय अर्थ में उपयोग को इंगित कर सकता है।यद्यपि सामान्य अर्थ में 'सकना" सक्षम करने वाला या विवेकपूर्ण है और 'करेगा' अनिवार्य है, लेकिन अर्थ अलंघनीय और अपरिवर्तनीय नहीं है।जहाँ "हो सकता है" शब्द को निर्देशिका के रूप में व्याख्यायित करने से अधिनियम का मूल उद्देश्य निरर्थक हो जाएगा, वहाँ "हो सकता है " शब्द का अर्थ '"होगा" होना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. "हो सकता है" और "'"होगा" जैसी सहायक क्रियाओं की व्याख्या करने का अंतिम नियम विधायी मंशा का पता लगाना है, और ' "हो सकता है" ' और '"होगा" शब्दों का प्रयोग उसके विवेक या आदेश के लिए निर्णायक नहीं है। "हो सकता है" और "होगा"" शब्दों का प्रयोग न्यायालयों को नियंत्रित या निर्णायक प्रभाव दिए बिना विधायी आशय का पता लगाने में मदद कर सकता है।न्यायालयों को विषय–वस्तु, प्रावधानों के उद्देश्य, कानून द्वारा सुरक्षित किए जाने वाले उद्देश्य, जो कि सर्वोपरि है, के साथ–साथ प्रयुक्त वास्तविक शब्दों पर भी विचार करना होगा।"

12. जम्बू भंडारी बनाम मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, (2023) 10 एससीसी 446 के मामले में,माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि, जब अपीलीय न्यायालय किसी अभियुक्त की दंड के निलंबन और जमानत देने की प्रार्थना पर विचार करता है, जिसे एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, तो यह अपीलीय न्यायालय पर निर्भर है कि वह इस बात पर विचार करे कि क्या यह एक असाधारण मामला है, जो जुर्माना/क्षतिपूर्ति राशि का 20% जमा करने की शर्त लगाए बिना सजा के निलंबन को मंजूरी देता है।कंडिका 6 से 10 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है किः–––

"6. इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि धारा 148 एनआई अधिनियम की एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की जानी चाहिए। इसलिए, सामान्य तौर पर, धारा 148 में दिए गए अनुसार जमा की शर्त लगाने में अपीलीय न्यायालय न्यायोचित होगा। हालांकि, ऐसे मामले में जहां अपीलीय न्यायालय संतुष्ट है कि 20%

जमा की शर्त अनुचित होगी या ऐसी शर्त लगाने से अपीलकर्ता के अपील के अधिकार से वंचित होना पड़ेगा, विशेष रूप से दर्ज कारणों के लिए अपवाद बनाया जा सकता है।

7. इसलिए, जब अपीलीय न्यायालय धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी अभियुक्त की धारा 389 सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पर विचार करती है, तो अपीलीय न्यायालय के लिए यह विचार करना हमेशा खुला होता है कि क्या यह एक असाधारण मामला है जो जुर्माना/क्षतिपूर्ति राशि का 20% जमा करने की शर्त लगाए बिना दंड के निलंबन की अनुमति देता है।जैसा कि पहले कहा गया है, यदि अपीलीय न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यह एक अपवादात्मक मामला है, तो उक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के कारणों को अवश्य दर्ज किया जाना चाहिए।

8. मूल परिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि न तो सत्र न्यायालय के समक्ष और न ही उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया था कि इन मामलों में अपवाद बनाया जा सकता है और जमा राशि या न्यूनतम 20% राशि की आवश्यकता को समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि अपीलकर्ताओं द्वारा ऐसी प्रार्थना नहीं की गई थी, तो न्यायालयों के पास उक्त दलील पर विचार करने का कोई कारण नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. हम उपरोक्त निवेदन से असहमत हैं।जब कोई अभियुक्त दंड के निलंबन के लिए धारा 389 सीआरपीसी के तहत आवेदन करता है, तो वह आम तौर पर बिना किसी शर्त के दंड के निलंबन से राहत के लिए आवेदन करता है।इसलिए, जब अपीलकर्ताओं द्वारा एक व्यापक आदेश मांगा जाता है, तो न्यायालय को इस बात पर विचार करना होगा कि मामला अपवाद में आता है या नहीं।

10. इन मामलों में, सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने गलत आधार पर कार्यवाही की है कि न्यूनतम 20% राशि जमा करना एक पूर्ण नियम है जो किसी अपवाद को समायोजित नहीं करता है।"

13. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ताओं को उनकी दंड के निलंबन और जमानत देने के लिए आवेदन पर विचार करते हुए, दिए गए क्षतिपूर्ति की 20% राशि जमा करने का निर्देश देने वाला आदेश पारित किया गया है, क्योंकि उनकी दंड के निलंबन और जमानत देने की पूर्व शर्त यही है। विद्वान अपीलीय न्यायालय को इस बात पर विचार करना है कि क्या यह एक असाधारण मामला है या नहीं, जिसके लिए क्षतिपूर्ति की राशि का 20% जमा करने के निर्देश के साथ दंड के निलंबन की अनुमति दी जानी चाहिए।दिनांक 28.12.2024 के आदेश के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि इस बात पर कोई व्यक्तिपरक संतुष्टि या विचार नहीं है कि यह एक असाधारण मामला है, जो चेक की राशि का 20% जमा करने के लिए इस तरह के निर्देश पारित करने का औचित्य रखता है।

14. इसलिए, उपरोक्त चर्चा से, यह न्यायालय इस राय पर है कि अपीलकर्ताओं को मुआवजे की राशि का 20% जमा करने का निर्देश देने से पहले, विद्वान अपीलीय न्यायालय को अपनी व्यक्तिपरक संतुष्टि दर्ज करनी

चाहिए, चाहे मामला अपवाद में आता हो या नहीं, और दिए गए क्षतिपूर्ति की राशि का 20% जमा करने का निर्देश दे सकता है।

15. परिणामस्वरूप, याचिका सफल होती है और अपीलकर्ताओं को चेक की राशि का 20% अर्थात 88,608/– रुपये 60 दिनों के भीतर जमा करने का निर्देश देने की सीमा तक दिनांक 28.12.2024 का आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है।हालाँकि, परिवादी को एनआई अधिनियम की धारा 148 के तहत प्रदान किए गए उपाय का लाभ उठाने की स्वतंत्रता है, और ऐसी स्थिति में, विद्वान अपीलीय न्यायालय विधि के अनुसार इसका निर्णय करेगा।

16.इस अवलोकन के साथ, याचिका को स्वीकृति दी जाती है।

सही/–
(अरविंद कुमार वर्मा)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य*

प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur